कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उत्तर प्रदेश।
परिपत्रांकः सी– 15 अधि0–2–3(4) लखनऊः:दिनॉकः: मई 2-6 2015

1. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक
   सहकारिता, उ0प्र0।
2. सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   जिला सहकारी बैंक लि0, उ0प्र0।

प्रदेश में ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति को दृष्टिगत रखते हुए प्रभावित कृषकों को राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से अल्पकालीन फसली ऋणों की वसूली में उत्पीड़क कार्यवाही न किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये थे। अल्पकालीन फसली ऋणों की वसूली में उत्पीड़क कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप जिला सहकारी बैंकों में तरलता की समस्या आ सकती है एवं बैंकों द्वारा वितरित किये जाने वाले ऋणों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

अल्पकालीन फसली ऋणों की वसूली न हो पाने के फलस्वरूप जिला सहकारी बैंकों के समक्ष उत्पन्न तरलता की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए व्यवसाय विविधीकरण योजनान्तर्गत वितरित एवं बकाया पड़े ऐसे ऋणों, जो एन0पी0ए0 की श्रेणी में वर्गीकृत हो, की वसूली के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही किया जाना एवं एन0पी0ए0 के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों को चरणबद्ध तरीके से कम किया जाना आवश्यक है, जिससे कि आगामी कृषि सीजन में कृषकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कृषि ऋण एवं कृषि–निवेश उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सके।

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के आधार पर प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में गैर कृषि ऋण के अन्तर्गत रू0 390.35 करोड़ गैर निष्पादक आस्तियों (एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत है, जो कुल लगे ऋण का 13.74 प्रतिशत है। जिला सहकारी बैंकों/पैक्स को स्वावलम्बी बनाने तथा आगामी समय में ऋण प्रवाह को बनाये रखने हेतु स्थानीय आवश्यकता के अनुसार व्यवसाय विविधीकरण योजना के अन्तर्गत वितरित एवं बकाया पड़े ऋणों की वसूली हेतु उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम–1965 एवं उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली–1968 में दिये गये सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कड़ाई से कार्यवाही किये जाने तथा नियमित रूप से इसकी समीक्षा किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला सहकारी बैंकों द्वारा व्यवसाय विविधीकरण योजनान्तर्गत वितरित एवं बकाया पड़े ऐसे ऋणों, जो एन0पी0ए0 की श्रेणी में वर्गीकृत हो, की वसूली के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही कराने एवं एन0पी0ए0 के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों को चरणबद्ध तरीके से कम किये जाने के सम्बन्ध में प्रभावी रणनीति बनाकर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(शैलेश कृष्ण),
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

परिपत्रांकः सी-15 /अधि0–2 दिनॉक उक्त।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यवसाय विविधीकरण योजनान्तर्गत वितरित एवं बकाया पड़े ऐसे ऋणों, जो एन0पी0ए0 की श्रेणी में वर्गीकृत हो, की नियमित रूप से समीक्षा करें एवं कृत कार्यवाही से प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सी0बी0 एंव इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि., मुख्यालय, लखनऊ।

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।